न्यायालय सत्र न्यायाधीश (रमाबाई नगर) कानपुर देहात ।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1166/2026

CNR No.UPRN01-003111-2026

1. पार्वती वर्मा उम्र लगभग 46 वर्ष, बालिग पत्नी अशोक कुमार वर्मा, निवासिनी ग्राम मकान सं०–जे–44 सेक्टर–1 आवास विकास कल्यानपुर, थाना कल्यानपुर, जिला कानपुर नगर। ...आवेदिका/अभियुक्ता,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं०–116/2026
धारा–420,467,468,471,120B भा०दं०सं०
थाना–शिवली, कानपुर देहात।

एवं

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1212/2026

CNR No.UPRN01-003197-2026

1. अशोक कुमार वर्मा उम्र लगभग 52 वर्ष, पुत्र जगन्नाथ वर्मा, निवासी ग्राम मकान सं०–जे–44 सेक्टर–1 आवास विकास कल्यानपुर, थाना कल्यानपुर, जिला कानपुर नगर। ...आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं०–116/2026
धारा–420,467,468,471,120B भा०दं०सं०
थाना–शिवली, कानपुर देहात।

<u>आदेश</u>

1. मुकदमा अपराध सं०–116/2026, धारा–420,467,468,471,120B भा०दं०सं०, थाना–शिवली, कानपुर देहात के मामले में आवेदकगण/अभियुक्तगण पार्वती वर्मा एवं अशोक कुमार वर्मा की तरफ से पृथक–पृथक अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा–482 बी०एन०एस०एस० के तहत प्रस्तुत किया गया है। उक्त दोनों अग्रिम जमानत आवेदन एक ही अपराध संख्या, थाना व घटना से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से उनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. अभियोजन के कथनानुसार वादी मुकदमा नयन सिंह के द्वारा संबंधित न्यायालय में बी०एन०एस० एस० की धारा–173(4) के तहत इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया गया कि उसने ग्राम भेवान तहसील मैथा स्थित आराजी 2016 च रकबा 1.2600 हे० में ¼ भाग रकबा 0.3150 हे० का पंजीकृत बैनामा दिनांक–20.05.2011 को सुग्रीव से क्रय किया था, जो उपनबिन्धक रसूलाबाद कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत है, जिसमें नामान्तरण आदेश दिनांक–27.01.2012 को पारित किया गया। उसकी भूमि को बेईमानी से हड़पने की नियत से अभियुक्तगण पार्वती वर्मा, उसका पति अशोक कुमार वर्मा, सुरेन्द्र कुमार के साथ मिलकर फर्जी व्यक्ति गणेश कुशवाहा को नयन चौधरी बनाकर खड़ा करके दिनांक–30.12.2021 को उपनिबन्धक कार्यालय रसूलाबाद, कानपुर देहात में उसकी कृषि भूमि का बैनामा करा लिया जो उपनिबन्धक कार्यालय रसूलाबाद में पंजीकृत है, जिसमें नयन चौधरी का आधार कार्ड सं०–656685060959 व वीआईडी 9185390496764539 की डिटेल गणेश कुशवाहा के नाम पर अंकित है एवं अपने विक्रय पत्र दिनांक–30.12.2021 को सही साबित करने के लिये पार्वती वर्मा ने एक अन्य विक्रयपत्र इस आशय का गढ़ा और न्यायालय नायब तहसीलदार मैथा के समक्ष वाद सं०–T202203400701626 में पेश किया कि वह असल माना जाये के लेखक रामचन्द्र लान 10 जेबी० गवाह नरेन्द्र व सुरेन्द्र कुमार व सुग्रीव को भी कूटरचना जालसाजी, छल, धोखाधड़ी व आपराधिक षड़यंत्र का दण्ड दिलाया जाये।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होनें कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट बी०एन०एस०एस० की धारा–173(4) के तहत दर्ज करायी गयी है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कथित अपराध धारा–482 बी०एन०एस०एस० की उपधारा–6 के अन्तर्गत नहीं आती है। समाज में

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.06.01 16:09:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उनकी छवि धूमिल करने के लिये पुलिस उन्हें उक्त मामले में गिरफ्तार कर सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराने का कारण नहीं बताया गया है। इस मामले में वादी नयन चौधरी ने उपनिबन्धक कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आधार व पैन कार्ड देकर बैनामा किया व प्रतिफल राशि आठ लाख रूपये ड्राफ्ट सं०–1977 समक्ष गवाहान प्राप्त कर अपनी आराजी नं०–2016 च व कुल रकबा 1.260 हे० का 1/4 भाग रकबा 0.3150 हे० का पंजीकृत बैनामा पार्वती वर्मा के पक्ष में अभियुक्त अशोक कुमार को गवाह बनाकर किया था। वादी ने दिनांक–03.01.2022 को केनरा बैंक विकास नगर में राशि प्राप्त कर लिया है। वे अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगें। विवेचना में सहयोग करेगें। यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन है। यह भी तर्क दिया गया कि वादी ने बैनामा निरस्त कराने का सिविल वाद, सिविल जज, कनिष्ठ वर्गम, कानपुर देहात में दाखिल किया है, जिसमें वादी की गवाही हो चुकी है और उसने केनरा बैंक में अपना खाता होना बताया है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत दिये जाने की याचना की गयी।

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने मौखिक रूप से तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित रूप से जमानत प्रा0 पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में अभियुक्ता पार्वती वर्मा व अभियुक्त अशोक कुमार वर्मा के द्वारा अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के स्थान पर गणेश कुशवाहा को खड़ा करके उसकी आराजी का बैनामा फर्जी तरीके पार्वती वर्मा के नाम कराया गया है। उक्त बैनामें में गणेश कुशवाहा का फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग किया गया है। यह भी तथ्य रखा गया कि अभियुक्तगण के द्वारा केनरा बैंक में वादी मुकदमा नयन सिंह के नाम से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड के जरिये खाता खुलवाकर स्वयं ही रूपया प्राप्त किया गया है। मामले में विवेचना प्रचलित है। प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण की निर्दोषिता की उपधारणा नहीं की जा सकती है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि इस मामले में अभियुक्ता पार्वती वर्मा व अभियुक्त अशोक कुमार वर्मा के द्वारा अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के स्थान पर सह अभियुक्त गणेश कुशवाहा को खड़ा करके उसकी आराजी का बैनामा फर्जी तरीके पार्वती वर्मा के नाम कराया गया है। उक्त बैनामें में नयन सिंह के फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग किया गया है। थाने की आख्या से यह भी स्पष्ट है कि केनरा बैंक, विकास नगर में नयन चौधरी के फर्जी दस्तावेज बनाकर खाता खोला गया, इस खाते में गणेश कुशवाहा की फोटो, परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड लगे हुये है, जो कूटरचना करके नयन चौधरी के नाम से तैयार किया गया है। मामले में विवेचना प्रचलित है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इस स्तर पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को प्रश्नगत आपराधिक घटनाक्रम में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवम् बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवम् विचारण का विषय है।

7– सम्पूर्ण तथ्यो, परिस्थितियों एवम् अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का कोई ठोस आधार विद्यमान नहीं है।

8– निष्कर्षतः आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

9– इस आदेश की एक प्रति जमानत आवेदन सं०–1212/2026 में रखी जाये।

दिनांक–01.06.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003